अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान (स.अ.) सहायता, दान या अंशदान के रूप में भुगतान का तरीका है जो कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। स.अ. संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों, निकायों और संस्थानों को दिया जाता है। उसी प्रकार, राज्य सरकार भी स.अ. का संवितरण अभिकरणों, निकायों और संस्थानों यथा विश्वविद्यालय, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य को करती है। इस तरह निर्गत अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों और संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन के व्यय की प्रतिपूर्ति और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वित्त नियमावली (झा.वि.नि.) का नियम 341 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतना ही स.अ. दिया जाना चाहिए जिनके व्यय होने की संभावना उस वर्ष के दौरान हो, स.अ. के लिए विपत्र को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को यह देखना चाहिए कि राशि की निकासी आवश्यकता से पूर्व नहीं की जाये।

झा.वि.नि. का नियम 342 बतलाता है कि यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हैं तो विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्रपत्र जी.एफ.आर. 19ए में उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

झारखण्ड में, वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान आहरित स.अ. विपत्रों के विरूद्ध, ₹ 6,543.82 करोड़ के कुल 5,264 उ.प्र.प. विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2014 को बकाये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

अधिक संख्या में उ.प्र.प. के बकाया रहने के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक अनुपालन लेखापरीक्षा माह जून और अगस्त 2014 के बीच किया गया। तदनुसार, पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग (पं.रा. एवं रा.ग्रा.रो.का.वि.) और शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) जिसमें ₹ 3,321.89 करोड़ के 4,105 उ.प्र.प. बकाये थे जो कि कुल बकाये राशि के 50 *प्रतिशत* से अधिक थे, को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। आगे, दोनों विभागों से संबंधित ₹ 601.23 करोड़[1] के 25 बकाये उ.प्र.प. के विस्तृत जाँच के लिए तीन जिलों[2] का चयन किया गया था।

3.1.2 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग और शहरी विकास विभाग में बकाये उ.प्र.प. की स्थिति

31 मार्च 2014 को पं.रा. एवं रा.ग्रा.रो.का.वि. एवं श.वि.वि. से संबंधित ₹ 3,321.89 करोड़ के बकाये उ.प्र.प. की वर्षवार स्थिति **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2014 को चयनित विभागों द्वारा वर्ष 2006-13 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के बकाये उ.प्र.प. को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान के संवितरण का वर्ष	पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का (विशेष प्रमण्डल)		शहरी विकास	
	बकाये उ.प्र.प.की संख्या	राशि	बकाये उ.प्र.प. की संख्या	राशि
2006-07	72	140.95	186	24.21
2007-08	26	48.13	189	45.49
2008-09	55	251.03	352	114.12
2009-10	38	156.86	585	194.00
2010-11	99	250.84	522	142.12
2011-12	64	259.97	390	146.64
2012-13	566	1031.57	961	515.96
कुल	**920**	**2139.35**	**3185**	**1182.54**

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि, पं.रा. एवं रा.ग्रा.रो.का.वि. का ₹ 2,139.35 करोड़ (920 उ.प्र.प.) एवं श.वि.वि. का ₹ 1,182.54 करोड़ (3,185 उ.प्र.प.) जो वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक संबंधित थे, 31 मार्च 2014 को बकाया था। झा.वि.नि. के नियम 342 के अनुसार, उ.प्र.प. को सहायता अनुदान स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन, उ.प्र.प. का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा अप्रस्तुतीकरण की अवधि एक से छः वर्ष थी।

---

[1] पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग -14 मामले - ₹ 379.43 करोड़ एवं शहरी विकास विभाग -11 मामले - ₹ 221.80 करोड़।

[2] देवघर, पूर्वी सिंहभूम और राँची।

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा उ.प्र.प्र. को जमा नहीं करने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि क्या यह अनुदान वास्तव में उपयोग किए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में लंबित उ.प्र.प. का प्रस्तुतीकरण, विभाग के अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है।

25 नमूना-जाँचित मामलों के विस्तृत परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि अनुदान का अनुपयोग, अनुदान को बैंक खातों में अवरूद्ध रखना, कोषागार से अनुदान का निकासी नहीं करना, अनुदान के निर्गत करने में विलंब, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उ.प्र.प. का गलत प्रस्तुतीकरण इत्यादि उ.प्र.प. के बकाये रहने के कारण थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण अनियमिततायें विस्तृत रूप से नीचे दर्शाये गये हैं:

3.1.3 अनुदानों को निर्गत करने में विलम्ब

शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) (₹ 53.51 करोड़) एवं जल आपूर्ति योजना (डब्लू.एस.एस.) (₹ 21.63 करोड़) के लिए राँची जिले में जवाहरलाल नेहरू शहरी ग्रामीण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अन्तर्गत कुल ₹ 75.14 करोड़ अनुदान के रूप में स्वीकृत किया (मार्च 2010)। श.वि.वि. के अवर सचिव अनुदान की निकासी के लिए डी.डी.ओ. थे। सारे अनुदान कोषागार से आहरित कर, वृहत राँची विकास अभिकरण (जी.आर.डी.ए.), जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. का राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण है, को कार्यान्वयन अभिकरणों को अग्रेतर सम्प्रेषण के लिए हस्तांतरित किया गया (मार्च 2010)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि जी.आर.डी.ए. ने अनुदान कार्यान्वयन अभिकरण, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) राँची नगर निगम को अनुदान प्राप्ति के 12 से 23 माह के विलम्ब से निर्गत किया जैसा कि **तालिका 3.2** में विस्तृत है।

तालिका 3.2: कार्यान्वयन अभिकरण को अनुदान निर्गत करने में विलम्ब को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

अनुदान की स्वीकृति		जी.आर.डी.ए. के द्वारा अनुदान की प्राप्ति		जी.आर.डी.ए. द्वारा निर्गत किया गया अनुदान		विलम्ब माह में	अभिकरण
आदेश/दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		
195/25.3.2010	53.51	31.3.2010	53.51	11.2.2012	53.51	23	सी.ई.ओ., राँची नगर निगम को बी.एस.यू.पी. योजना के लिए
147/3.3.2010	21.63	23.3.2010	21.63	29.3.2011	21.63	12	सी.ई.ओ., राँची नगर निगम को डब्ल्यू.एस.एस. के लिए
कुल	**75.14**		**75.14**		**75.14**		

जवाब में, जी.आर.डी.ए. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2014) कि बी.एस.यू.पी. योजना के लिए अनुदान निर्गत करने में विलंब पूर्ववर्ती अनुदानों का अनुपयोग किया जाना था और डब्ल्यू.एस.एस. के संबंध में, विलम्ब का कारण कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उ.प्र.प. एवं कार्य योजनाओं का अप्रस्तुतीकरण था।

कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्ववर्ती अनुदानों के वास्तविक उपयोग के बिना श.वि.वि. के द्वारा अनुदान का निर्गत किया जाना यह दर्शाता है कि अनुदान शीघ्र उपयोग के लिए नहीं था, जो कि झा.वि.नि. के नियम 341 के विरूद्ध था। आगे, जी.आर.डी.ए. के द्वारा उ.प्र.प. एवं कार्य योजना को प्राप्त करने में असफल रहना, जी.आर.डी.ए. के द्वारा कार्यों के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है, फलस्वरूप उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके लिए अनुदान निर्गत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अनुदान को विलम्ब से निर्गत करना इसके वास्तविक उपयोग एवं उ.प्र.प. के प्रस्तुतीकरण को और विलंबित किया।

आगे, सी.ई.ओ., राँची नगर निगम को निर्गत अनुदान राशि ₹ 53.51 करोड़ के जाँच से यह पता चला कि केवल ₹ 7.16 करोड़ का ही उपयोग हुआ और शेष ₹ 46.35 करोड़ का उपयोग, या तो चालू परियोजनाओं के अपूर्ण रहने अथवा बी.एस.यू.पी. योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले योजनाओं को राजीव आवास योजना में शामिल किये जाने, जिनका पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) को भेजा जाना था, के कारण नहीं किया जा सका। अतः, ₹ 46.35 करोड़ अवरूद्ध रहा और उ.प्र.प. जमा नहीं किया जा सका (अगस्त 2014)। जबकि, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत राँची जल आपूर्ति योजना के लिए ₹ 21.63 करोड़ पूर्ण रूप से राँची नगर निगम द्वारा उपयोग कर लिया गया था (अगस्त 2014)।

3.1.4 अनुदान का अनुचित संवितरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण

पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का. (विशेष प्रमंडल) विभाग ने तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कार्य[3] करने के लिए ₹ 57.41 करोड़ का सामान्य बुनियादी अनुदान स्वीकृत किया (सितम्बर 2012)। अवर सचिव ने कोषागार से अनुदान की निकासी (अक्टूबर 2012) कर इसको झारखण्ड के सभी 24 जिलों को रियल टाईम ग्रौस सेंटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) के द्वारा स्थानान्तरित किया, जिसमें से ₹ 3.93 करोड़ सचिव, जिला परिषद, राँची को स्थानान्तरित किया गया था (अक्टूबर 2012)।

[3] पंचायतो के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर एंव कम्प्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था, पंचायत भवनों में जेनरेटर/इन्वर्टर/ सोलर पैनल की व्यवस्था, पंचायत भवनों में उपस्करों की आपूर्ति तथा पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था।

स्वीकृति आदेश के अनुसार, जिला परिषद के द्वारा इन अनुदानों को तत्काल संबंधित ग्राम पंचायतों को उस योजना के लिए खोले गए बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्थानान्तरित करना था। आगे, किये गये व्ययों के उ.प्र.प. को जी.एफ.आर. 19ए के विनिर्दिष्ट प्रपत्र में महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड सहित एक प्रति सचिव, पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का. (विशेष प्रमंडल) विभाग को भेजा जाना था।

सचिव, जिला परिषद, राँची ने अनुदान को ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित करने के बदले उस अनुदान को राँची जिले के 18 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों[4] (बी.डी.ओ.) को ₹ 1,29,794 की दर से 303 ग्राम पंचायतों को अग्रेतर संवितरण के लिए स्थानांतरित किया (नवम्बर 2012)। जिला परिषद के द्वारा आगे उपलब्ध कराई गई सूचना से ज्ञात हुआ कि अन्ततः राशियों को ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में 9 फरवरी 2013 को, अनुमोदित कार्यों को करने के लिए आवंटन की तिथि से चार माह के विलंब से जमा किया गया था।

सचिव ने स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2014) कि भविष्य में अनुदानों का स्थानांतरण ग्राम पंचायतों को सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा।

इन अनुदानों के द्वारा किए गए कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में पूछने पर, सचिव, जिला परिषद ने बताया (जुलाई 2014) कि इन्हें संबंधित प्रखण्डों से प्राप्त कर उपलब्ध कराई जायगी। जबकि, सचिव, जिला परिषद ने ₹ 3.93 करोड़ के सम्पूर्ण अनुदान को वास्तविक रूप में उपयोग दर्शाते हुए उ.प्र.प. विनिर्दिष्ट प्रपत्र जी.एफ.आर. 19ए में पहले ही भेज दिया था (मार्च 2013)।

इस प्रकार, सचिव ने किए गए कार्य और उस पर किए गए व्यय की वास्तविक स्थिति को प्राप्त किए बिना ही महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को गलत उ.प्र.प. प्रस्तुत किया।

ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अनुदान स्थानान्तरित करने के बजाय बी.डी.ओ. को अनुदान अनुचित रूप से निर्गत करने के फलस्वरूप, संवितरण में विलम्ब हुआ और अन्ततः वास्तविक उपयोग को दर्शाते हुए उ.प्र.प. का प्रस्तुतीकरण भी विलंबित हुआ। जिला परिषद के द्वारा त्रुटिपूर्ण उ.प्र.प. का प्रस्तुतीकरण न केवल उनके कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है, बल्कि उ.प्र.प. के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है।

3.1.5 अनुदान का अवरूद्धिकरण एवं अनुपयोग

जैसा कि कंडिका 3.1.1 में पहले ही कहा जा चुका है, किसी राशि की निकासी आवश्यकता के पूर्व नहीं की जानी चाहिए (झा.वि.नि. का नियम 341)। आगे, विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोषागार से आहरित की गई राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के अंदर कर दिया जाना चाहिए। पुनः झारखण्ड कोषागार

[4] अनगड़ा, बेड़ो, बुंडू, बुड़मू, चान्हो, इटकी, काँके, खेलारी, लापूंग, माण्डर, नगड़ी, नामकुम, ओरमांझी, राहे, रातू, सोनाहातू, सिल्ली और तमाड़।

संहिता (झा.को.सं.) के नियम 300 के अनुसार राशि की निकासी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक उसका तुरंत भुगतान आवश्यक नहीं हो। कोषागार से प्रत्याशित माँगों के लिए आहरण, चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए, जिसको करने में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है, या विनियोगों को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनुमान्य नहीं है। नियम आगे यह भी बतलाता है कि यदि राशि की अग्रिम निकासी की गई है तो आहरित की गई राशि के अव्ययित शेष को अगले विपत्र में कम निकासी करते हुए या चालान के द्वारा यथाशीघ्र परन्तु किसी हाल में उस वित्तीय वर्ष के अंत होने से पहले, जिसमें राशि की निकासी की गई थी, कोषागार को वापस कर देना चाहिए।

बकाया उ.प्र.प. के नमूना जाँच के दौरान अनुदान अवरूद्धिकरण के निम्नलिखित मामले पाये गए :

- राज्य विशेष आवश्यकता के अन्तर्गत बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर भारी अभियांत्रिकी निगम (एच.ई.सी.) लिमिटेड, राँची के पुनरुद्धार के लिये कुल स्वीकृत अनुदान की राशि ₹ 275.51 करोड़ के विरूद्ध शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) ने एच.ई.सी. लिमिटेड को भुगतान के लिये ₹ 36 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी (मार्च 2010)। एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा गैर-अतिक्रमित 354.25 एकड़[5] की भूमि एवं मकान राज्य सरकार को सुपुर्दगी के बाद एच.ई.सी. लिमिटेड को अनुदान का भुगतान किया जाना था। अवर सचिव ने कोषागार से अनुदान की निकासी (मार्च 2010) की और इसे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एच.ई.सी. लिमिटेड के पक्ष में निर्गत 30 सितम्बर 2010 तक वैध बैंकर्स चेक के रूप में सचिव, उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया। चूँकि 354.25 एकड़ की भूमि जो अतिक्रमणाधीन थी, एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को सुपुर्द नहीं किया गया था, उक्त बैंकर्स चेक, व्यपगत बैंकर्स चेक (जून 2014) के रूप में सचिव, उद्योग विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ा रहा।

  चूँकि अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका, इसलिए श.वि.वि. द्वारा इसके विरूद्ध उ.प्र.प. नहीं जमा किया जा सका।

- श.वि.वि. ने देवघर नगर निगम को क्लब मैदान, देवघर में एक पार्क के निर्माण के लिए ₹ 1.41 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं आवंटन दिया (मार्च 2011)। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.), देवघर नगर निगम ने ₹ 1.41 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को कोषागार से निकासी कर अपने व्यक्तिगत बही (पी.एल) खाते में जमा (मार्च 2011) किया।

[5] कुल 2,342 एकड़ भूमि एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा ₹ 275.51 करोड़ का भुगतान प्राप्त करने के उपरांत हस्तगत कराना था, इसमें से 1,987.75 एकड़ पहले ही राज्य सरकार को हस्तगत करा दी गई थी।

पार्क के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका (जुलाई 2014) क्योंकि निर्माण के लिये चयनित भूमि माननीय उच्च-न्यायालय झारखण्ड में वर्ष 2005 से ही न्यायाधीन थी। सी.ई.ओ. ने विभाग से चिल्ड्रेन्स पार्क, जलसार के उन्नयन पर अनुदान का उपयोग करने की अनुमति के लिए आग्रह (मार्च 2013 एवं जनवरी 2014) किया। विभाग द्वारा इसकी अनुमति अभी तक (जुलाई 2014) नहीं दिया गया एवं पार्क निर्माण के लिए आवंटित कुल ₹ 1.41 करोड़ की राशि तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अवरूद्ध रहा।

अव्यवहृत अनुदान की राशि को झा.वि.नि. के नियम 341 एवं झा.को.सं के नियम 300 के विरूद्ध पी.एल. खाते में अवरूद्ध रखने के परिणामस्वरूप उ.प्र.प. नहीं जमा किया जा सका। इसके अतिरिक्त, विवादित भूमि पर पार्क निर्माण की स्वीकृति कार्यों के अनुचित चयन को दर्शाया, जो अनुदान के स्वीकृति की दोषपूर्ण प्रक्रिया को प्रतिबिंबित किया।

- ग्रेटर राँची विकास अभिकरण (जी.आर.डी.ए.) जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य का नोडल अभिकरण है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. से संबंधित अनुदान श.वि.वि. के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा आहरित किया जाता है एवं जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जी.आर.डी.ए. को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

  जी.आर.डी.ए. से प्राप्त सूचना के जाँच से पता चला कि श.वि.वि. ने जी.आर.डी.ए., राँची को दो स्वीकृत आदेश के द्वारा ₹ 1.02 करोड़ का अनुदान निर्गत किया (अप्रैल 2010) जिसको कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा नगरपालिका तथा हजारीबाग नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर संवितरित करना था। किन्तु, यह राशि जुलाई 2014 तक दोनों कार्यपालक पदाधिकारियों को संवितरित नहीं किया गया था। अतएव, उक्त राशि जी.आर.डी.ए. के पास चार वर्षों से अधिक समय तक अवरूद्ध रहा जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ एवं तदनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रस्तुत नहीं हुआ।

  जवाब में, जी.आर.डी.ए. ने इसे स्वीकार किया एवं कहा (अगस्त 2014) कि लोहरदगा नगरपालिका तथा हजारीबाग नगर परिषद को उनके विरूद्ध चल रहे जाँच के पूर्ण नहीं होने के कारण अनुदान निर्गत नहीं किया गया।

  संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा किये जा रहे जाँच के पूर्ण होने में हो रहे विलंब एवं उक्त अनुदानों को जी.आर.डी.ए. से वापस लेकर किसी अन्य योजना में उपयोग नहीं किया जाना विभाग के अप्रभावी अनुश्रवण को दर्शाता है।

- पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.का. (विशेष प्रमण्डल) विभाग ने राँची जिला के 2,052 ग्राम सभाओं के विकासात्मक कार्यों के लिए ₹ 11.29 करोड़ का

अनुदान स्वीकृत (दिसम्बर 2006) किया। अनुदान को ₹ 55,000 प्रति ग्राम सभा के दर से सभी ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित किया जाना था। उक्त अनुदान जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डी.पी.आर.ओ.), राँची द्वारा कोषागार से आहरित (मार्च 2007) किया गया, जिसमें से ₹ 10.54 करोड़ 1,916 ग्राम सभाओं को निर्गत किया गया (अप्रैल 2007 से अगस्त 2008 तक) एवं ₹ 74.80 लाख अनिर्गत रहा क्योंकि कुछ ग्राम सभाओं के बैंक खाते नहीं खोले गए थे एवं कुछ ग्राम सभा अन्य जिलों (खूँटी) के क्षेत्राधिकार में पड़ते थे। उपायुक्त (डी.सी.), राँची ने ₹ 74.80 लाख के अव्यवहृत अनुदान को राँची जिला के ग्राम सभाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु खर्च करने के लिए विभाग से अनुरोध (जून 2010) किया, किन्तु, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2014)। इसके बाद, उपायुक्त द्वारा न तो विभाग से कोई पत्राचार किया गया और न ही अनुदान की शेष राशि सरकारी खाते में जमा करायी गयी। अतएव, ₹ 74.80 लाख की अनिर्गत अनुदान डी.पी.आर.ओ. द्वारा सात वर्षों से अधिक अवधि तक अपने चालू बैंक खाते में अवरूद्ध कर रखा गया।

विभाग द्वारा अव्यवहृत अनुदान के उपयोग के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करने की विफलता तथा उपायुक्त एवं डी.पी.आर.ओ. द्वारा उस राशि का सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना, अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

इस प्रकार, ग्राम सभाओं के विकासात्मक कार्यों को अनुदान के अनुपयोग रहने के कारण संपन्न नहीं कराया जा सका, जिसके कारण अन्ततः उ.प्र.प. अप्रस्तुत रहा।

- श.वि.वि. ने देवघर नगर निगम को सभागार के निर्माण कार्य एवं रंगीन इंटरलॉकिंग पेभर्स बिछाने के लिए ₹ 7.24 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2011) और ₹ 5.76 करोड़[6] निर्गत किया (मार्च 2011)। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.), देवघर नगर निगम ने उपलब्ध अनुदान ₹ 5.76 करोड़ के विरूद्ध कार्य में केवल ₹ 1.35 करोड़[7] ही व्यय किए और संवेदक द्वारा सभागार के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण एवं रंगीन इंटरलॉकिंग पेभर्स बिछाने के कार्य को विलंब से प्रारम्भ किये जाने के कारण, ₹ 4.41 करोड़ अव्यवहृत रहे (जुलाई 2014)।

  जवाब में, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2014) कि तथ्य की जाँच की

[6] शिल्पग्राम में सभागार निर्माण कार्य - अनुमोदित प्राक्कलित राशि: ₹ 2.76 करोड़; निर्गत राशि: ₹ 2.76 करोड़ (ii) रंगीन इंटरलॉकिंग पेभर्स का बिछाना - अनुमोदित प्राक्कलित राशि: ₹ 4.48 करोड़; निर्गत राशि: ₹ 3.00 करोड़।

[7] सभागार निर्माण: ₹ 85.78 लाख एवं इंटरलॉकिंग पेभर्स: ₹ 48.73 लाख।

जायेगी, कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं अनुदानों का शीघ्र उपयोग किया जायेगा।

आवंटन की तिथि के तीन वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य पूर्ण होने में विलम्ब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है जिससे उ.प्र.प. का अप्रस्तुतीकरण हुआ।

इस प्रकार, बिना किसी तात्कालिक उपयोग के लिए अनुदान की निकासी तथा इसे अवरूद्ध एवं अव्यवहृत रखना, विनियोग अधिनियम, वित्तीय नियमों एवं कोषागार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। यह विभाग द्वारा कमजोर योजना एवं अनुश्रवण को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप अनुदान का अनुपयोग और अंततः उ.प्र.प. का अप्रस्तुतीकरण हुआ।

3.2 कल्याण विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा

पृष्ठभूमि

झारखण्ड में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों के द्वारा कोषागार से अग्रिम निधि का आहरण असामान्य तौर पर ज्यादा रहा है। वर्ष 2000-14 के दौरान 54,563 ए.सी. विपत्रों पर कुल ₹ 15,135 करोड़ की राशि का आहरण किया गया था, जिसमें से 17,778 विपत्रों से संबंधित ₹ 5,162 करोड़ 30 जून 2014 तक बकाया रहा। अग्रिम तब तक बकाया रहता है जब तक कि नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) सहायक अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंप नहीं देता है। ए.सी. विपत्रों पर आहरित बकाया राशि के लिए डी.सी. विपत्र नहीं सौंपने की स्थिति में हम लोग लेखापरीक्षा के अंतर्गत यह आश्वासन उपलब्ध करने में असमर्थ है कि क्या आहरित अग्रिम उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हुए जिन उद्देश्यों के लिए यह स्वीकृत किया गया था।

3.2.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) का नियम 290 आकस्मिक व्यय को "सभी आकस्मिक एवं अन्य व्यय जो किसी कार्यालय को कार्यालय के रूप में रखने के लिए प्रबंधन या विभागों के तकनीकि कार्यों के लिए खर्च होते हैं" के रूप में परिभाषित करती है। आकस्मिक व्यय जिस पर भुगतान के बाद नि.अ. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है, को बिना कोई सहायक अभिश्रव (झा.को.सं. का नियम 318) के कोषागार से ए.सी. विपत्रों (टी.सी. प्रपत्र-38) के माध्यम से अग्रिम के रूप में आहरित किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा-शीर्षों के अंतर्गत विकलित किया जाता है और नि.अ.[8] द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सहायक उप-अभिश्रव के साथ डी.सी. विपत्र

[8] झा.को.सं. का नियम 320 ।

(टी.सी. प्रपत्र 39 में)[9] संबंधित माह के अगले माह[10] के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु उपस्थापित प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि पिछले माह आहरित ए.सी. विपत्र के लिए विस्तृत विपत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रक अधिकारी को सौंप दी गई है (झा.को.सं. का नियम 319)।

आगे, झा.को.सं. का नियम 300 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषागार में आकस्मिक विपत्र जमा करने के समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डी.डी.ओ.) को यह प्रमाणित करना होता है कि विपत्र राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के भीतर कर ली जाएगी और संवितरित नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के कार्यालय में डी.सी. विपत्र प्राप्त होने पर उप-अभिश्रव की संवीक्षा के पश्चात् इसे ए.सी. विपत्रों के साथ समायोजित की जाती है और अंतर या नामंजूरी को वसूली हेतु चिन्हित की जाती है, और गलत वर्गीकरण होने पर इसे समायोजित किया जाता है। इसके बावजूद, आकस्मिक व्यय पर कारगर नियंत्रण की जवाबदेही मुख्यत: कार्यालय प्रधान पर एवं ए.सी. विपत्र के मामलों में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर है।

कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011-14 के दौरान ए.सी. विपत्रों पर आहरित निधियों की एक अनुपालन लेखापरीक्षा सितम्बर-अक्टूबर 2014 में की गई। झारखण्ड में वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 3,192 करोड़ की राशि आहरित की गई थी जिसमें से ₹ 1,383 करोड़ की राशि बकाया (जून 2014) थी जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है। कल्याण विभाग ने इस अवधि में ₹ 164.60 करोड़ का आहरण किया जिसमें से ₹ 161.54 करोड़ बकाया रहा (***परिशिष्ट 3.2***)। राँची जिला में वर्ष 2011-14 के दौरान कल्याण विभाग के तीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी[11] द्वारा 11 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित ₹ 89.71 करोड़ का विस्तृत परीक्षण किया गया।

3.2.2 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण की प्रवृति

ए.सी. विपत्र के माध्यम से निधि के आहरण के समय व्यय को संबंधित सेवा-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। अत: ऐसे निधियों के विशिष्ट उद्देश्यों के

[9] यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर कर सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जा सकता है।

[10] झा.को.सं. का नियम 322 ।

[11] (i) उप निदेशक, आदिवासी कल्याण, कल्याण विभाग (ii) जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची एवं (iii) परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची।

लिये उपयोगिता, निर्धारित समय सीमा[12] के अंदर, लेकिन उस वित्तीय वर्ष[13] के 31 मार्च या उससे पहले सुनिश्चित करना आवश्यक है। डी.सी. विपत्रों को समय पर नहीं जमा करना वित्तीय अनुशासनों का उल्लंघन है और यह दुर्विनियोग के जोखिम को उत्पन्न करती है। वर्ष 2000-14 के दौरान ए.सी. विपत्रों से आहरित निधियों का विवरण, जमा किया हुआ डी.सी. विपत्रों एवं इन विपत्रों के विरूद्ध 30 जून 2014 तक बकाया राशि का विस्तृत विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: 30 जून 2014 को बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		जमा किया गया डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2000-2011	52489	11943	35892	8164	16597	3779	32
2011-2012	1059	1600	333	1208	726	392	25
2012-2013	547	925	498	494	49	431	47
2013-2014	468	667	62	107	406	560	84
योग **(2011-2014):**	**2074**	**3192**	**893**	**1809**	**1181**	**1383**	**43**
सकल योग	**54563**	**15135**	**36785**	**9973**	**17778**	**5162**	**34**

स्रोत : वित्त लेखा में लेखा टिप्पणी

तालिका 3.3 से यह देखा जा सकता है कि कुल बकाया राशि ₹ 5,162 करोड़ (जून 2014) में से ₹ 3,779 करोड़ (73 *प्रतिशत*) तीन वर्षों से भी अधिक पुराना है। वर्ष 2000-11 के दौरान आहरित ए.सी. विपत्रों की बकाया राशि कुल आहरित राशि का 32 *प्रतिशत* था। वर्ष 2011-12 के दौरान आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए लंबित मामलों में 25 *प्रतिशत* की कमी आई, जबकि उस वर्ष के दौरान ए.सी. विपत्रों पर आहरित की गई कुल राशि वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लिए क्रमश: 47 *प्रतिशत* एवं 84 *प्रतिशत* बढ़ा।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि ए.सी. विपत्रों के द्वारा राशि के आहरण में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 (₹ 1,059 करोड़ से ₹ 547 करोड़) एवं वर्ष 2013-14 (₹ 547 करोड़ से 468 करोड़) में लगातार कमी आई।

कल्याण विभाग में, ए.सी. विपत्रों से आहरित राशि वर्ष 2011-12 में ₹ 42.96 करोड़ (70 विपत्र) से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 107.06 करोड़ (25 विपत्र) हो गई और फिर घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 14.58 करोड़ (दो विपत्र) हो गई। अगस्त 2014 तक इन ए.सी. विपत्रों की बकाया राशि वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 39.90 करोड़ (66 विपत्र), वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 107.06 करोड़ (25 विपत्र) एवं वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 14.58 करोड़ (दो विपत्र) थी (***परिशिष्ट 3.2***)।

---

[12] किसी माह के एक तारीख से अगले माह के 10 तारीख तक विस्तृत विपत्र नि.अ. को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपस्थापन (झा.को.सं. का नियम 319)।

[13] झा.को.सं. का नियम 300 ।

3.2.3 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के जमा करने में विलम्ब

झा.को.सं. के नियम 322 के अनुसार डी.सी. विपत्र संबंधित माह के अगले माह के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को भेज दी जाएगी।

कल्याण विभाग से संबंधित नमूना-जाँचित 11 ए.सी. विपत्रों की संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.प.) राँची द्वारा ₹ 53.52 लाख की राशि दो ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित (मार्च 2012) किया गया। जिसके ब्यौरे **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के जमा करने में विलम्ब

क्र. सं.	विपत्र संख्या	कोषागार से निकासी की तिथि	राशि (₹ लाख में)	डी.सी. विपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि	डी.सी. विपत्र जमा करने की तिथि	विलम्ब माह में
1	285/11-12	31.03.2012	24.33	25.04.2012	20.06.2014 और 04.07.2014	26
2	288/11-12	31.03.2012	29.19	25.04.2012	20.06.2014 और 04.07.2014	26
कुल			**53.52**			

स्रोत : जिला कल्याण पदाधिकारी राँची द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

झा.को.सं. के नियमानुसार डी.सी. विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड राँची को 25 अप्रैल 2012 तक जमा कर दिया जाना था। लेकिन **तालिका 3.4** से यह स्पष्ट होता है कि डी.सी. विपत्र लगभग 26 माह के विलम्ब के साथ जून और जुलाई 2014 में जमा किया गया।

जवाब में जि.क.प., राँची ने स्वीकार किया एवं कहा (सितम्बर 2014) कि डी.सी. विपत्र जमा करने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से विलम्ब से मापी-पुस्तिका एवं अभिश्रवों की प्राप्ति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2012 से मार्च 2013 के दौरान नमूना-जाँचित शेष नौ विपत्रों से संबंधित ₹ 89.17 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्रों के माध्यम से समायोजन अभी भी (अगस्त 2014) बाकी था।

परियोजना निदेशक (प.नि.), समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (स.ज.वि.अ.) ने इसे स्वीकार किया एवं जवाब दिया (अक्टूबर 2014) कि डी.सी. विपत्रों को जमा नहीं करने का कारण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं करना था। आदिवासी कल्याण आयुक्त (आ.क.आ.), कल्याण विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.2.4 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से योजना निधि का आहरण

ए.सी. विपत्रों के माध्यम से योजना निधि का आहरण अनुमान्य नहीं है क्योंकि यह आकस्मिक प्रकृति का नहीं होता है।

- हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2011-14 के दौरान 97 ए.सी. विपत्रों पर आहरित कुल ₹ 164.60 करोड़ में से ₹ 160.01 करोड़ (97 *प्रतिशत*) योजना निधि की थी। इन योजना निधियों के विरूद्ध महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को मात्र ₹ 3.06 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्र जमा किया गया और अगस्त 2014 तक ₹ 156.95 करोड़ बकाया रहा।

- नमूना-जाँचित ए.सी. विपत्रों के संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कल्याण विभाग ने दो डी.डी.ओ.[14] को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 77.18 करोड़ की राशि आवंटित (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012) किया एवं एक मुश्त अग्रिम के रूप में आहरण की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण निधि ₹ 77.18 करोड़ का आहरण (जनवरी 2013 एवं मार्च 2013) कोषागार से अग्रिम के रूप में दो ए.सी. विपत्रों के माध्यम से कर लिया गया। चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आवंटित राशि अनुदान है, इसलिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका निर्गमन 'सहायता अनुदान' (जी.आइ.ए.) के रूप में किया जाना था। तथापि, हमलोगों ने देखा कि चूँकि राज्य बजट में विस्तृत शीर्ष 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत लघु (कार्यक्रम) शीर्ष (796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना) - उप-शीर्ष (08-सविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता) नहीं था, इसलिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा निधियों का आहरण जी.आई.ए. विपत्रों पर नहीं किया जा सका।

  ए.सी. विपत्रों पर जी.आई.ए. निधियों का आहरण, झारखण्ड में अधिक बकाया ए.सी. विपत्रों की राशि के कारणों में से एक था।

  आगे, हमलोगों ने अवलोकन किया कि निधियों के एक मुश्त अग्रिम के आहरण की अनुमति विभाग द्वारा बिहार वित्त विभाग के दिनांक 17 अप्रैल 1998 के आदेश की कंडिका 15 के प्रावधान, यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत, का उद्धरण देकर दिया गया जिसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग के सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निधियों के अग्रिम आहरण की अनुमति केवल वैसे वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए कर सकता है जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता है।

---

[14] आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची (₹ 69.96 करोड़) एवं परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची (₹ 7.22 करोड़)।

उपरोक्त सरकारी आदेश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सम्पूर्ण निधियों के एक मुश्त अग्रिम आहरण की स्वीकृति अनियमित थी, क्योंकि अग्रिम का आहरण केवल वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए नहीं किया गया।

विभाग से जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.2.5 वित्तीय वर्ष के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से आहरित राशि का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना चाहिए। आगे, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से कोई भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसका तुरंत भुगतान आवश्यक न हो। कोषागार से प्रत्याशित मांगों के लिए अग्रिम आहरण चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिसका सम्पादन में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है, या विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए, अनुमान्य नहीं है। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से निधि का आहरण करते समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रमाणित करना पड़ता है कि वित्तीय वर्ष के भीतर समस्त निधियों का भुगतान कर दिया जाएगा।

वर्ष 2011-14 के दौरान कल्याण विभाग एवं राँची जिला के नमूना-जाँचित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी[15] द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित राशि **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्रों का आहरण

(₹ *करोड़ में*)

	कुल आहरण		मार्च में आहरित		मार्च के अंतिम सप्ताह में आहरित		31 मार्च को आहरित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कल्याण विभाग	97	164.60	79	59.12(36)	74	55.27(34)	55	35.12(21)
नमूना-जाँचित ए.सी. विपत्र	11	89.71	10	19.75(22)	9	16.67(18.58)	8	14.63(16)

स्रोत : अभिश्रव स्तर कम्प्यूट्राईजेशन (वी.एल.सी.) डाटाबेस

कोष्टक के आँकड़े ए.सी. विपत्र से आहरित राशि का कुल राशि से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2011-14 के दौरान विभाग द्वारा ए.सी. विपत्रों पर आहरित ₹ 164.60 करोड़ में से ₹ 59.12 करोड़ (36 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च माह में किया गया था। इनमें से, ₹ 55.27 करोड़ (34 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च के अन्तिम सप्ताह में किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की आहरित राशि ₹ 35.12 करोड़ थी। मार्च माह में, विशेषकर माह के अंतिम सप्ताह में आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना प्रतीत नहीं होता था।

[15] (i) उपनिदेशक, आदिवासी कल्याण, कल्याण विभाग (ii) जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची एवं (iii) परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., राँची ।

आगे, विभाग के तीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के अभिलेखों के नमूना-जाँच से स्पष्ट हुआ कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ने 10 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 19.75 करोड़ का आहरण (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) किया। इनमें से ₹ 11.20 करोड़ भुगतित/संवितरित या कोषागार में वापस कर दिया गया एवं ₹ 8.55 करोड़ अगस्त 2014 तक अप्रयुक्त रहा। तथापि, ₹ 11.20 करोड़ में से, केवल ₹ 0.22 करोड़ का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष (मार्च 2013) में किया गया एवं ₹ 10.98 करोड़ का भुगतान/संवितरण या कोषागार में वापसी अगले वित्तीय वर्ष में किया गया।

इस प्रकार, ₹ 19.53 करोड़[16] के ए.सी. विपत्रों पर आहरण, जिसका शीघ्र भुगतान करना आवश्यक नहीं था, विनियोग अधिनियम एवं झा.को.सं. के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.2.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से बार-बार निधियों का आहरण

हमलोगों के संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि झा.को.सं. के नियम 319 एवं 320 का उल्लंघन करते हुए दो नमूना-जाँचित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने वर्ष 2011-13 के दौरान पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्रों को जमा किए बगैर बार-बार ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 89.17 करोड़ की राशि का आहरण किया। विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर बार-बार निधियों के आहरण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विपत्रों का आहरण	आहरित विपत्रों की संख्या	राशि
1	उप निदेशक, आदिवासी कल्याण	29 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के बीच	07	81.72
2	परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची	31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के बीच	02	7.45
	कुल		**09**	**89.17**

स्रोत : अभिश्रव स्तर कम्प्यूट्राईजेशन (वी.एल.सी.) डाटाबेस

ए.सी. विपत्रों के आहरण के माह के अगले माह के 10 तारीख के बाद कोषागार से ए.सी. विपत्रों के माध्यम से निधियों के आहरण के समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी टी.सी. प्रपत्र 38 में एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है कि चालू माह के पहली तारीख के पहले सभी आकस्मिक व्ययों के लिए डी.सी. विपत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरण एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषण हेतु अग्रसारित कर दी गई है।

[16] ₹ 19.75 करोड़ - ₹ 0.22 करोड़

तालिका 3.6 से देखा जा सकता है कि दोनों निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने तदन्तर ए.सी. विपत्रों के माध्यम से कोषागार से निधियों का ए.सी. विपत्रों पर आहरण, आवश्यक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके किया। अत: निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये क्योंकि पूर्व में जारी किए गए ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र बकाया था।

3.2.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खाते में रखना

झा.को.सं. के नियम 300 के अनुसार निधियों का आहरण तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इसका शीघ्र भुगतान आवश्यक न हो। आगे, वित्तीय नियम सरकारी पैसों को गैर-सरकारी खातों में रखने को निषेध करती है। हमलोगों ने अवलोकन किया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरित निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया और यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में पड़ा रहा जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- परियोजना निदेशक (प.नि.), समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.), राँची ने जनजातीय कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए दो ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 7.45 करोड़ का आहरण (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) किया। उनमें से 24 सितम्बर 2014 तक केवल ₹ 4.20 करोड़ व्यय हुआ एवं शेष ₹ 3.25 करोड़ सितम्बर 2014 तक आई.टी.डी.ए. के बचत खाते में अप्रयुक्त पड़ा था।

  प.नि., आई.टी.डी.ए., राँची ने इसे स्वीकार किया और जवाब (अक्टूबर 2014) दिया कि योजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

- उप निदेशक, आदिवासी कल्याण, कल्याण विभाग ने विभिन्न जनजातीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोषागार से सात ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 81.72 करोड़ की राशि का आहरण (मार्च 2012 से मार्च 2013) किया जिसमें से ₹ 75.33 करोड़ का भुगतान/संवितरण विभिन्न योजनाओं के लिये किया गया एवं शेष राशि ₹ 6.39 करोड़ सितम्बर 2014 तक आदिवासी कल्याण आयुक्त के बैंक खातों में पड़ा हुआ था।

  जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

- आदिवासी कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प.नि., आई.टी.डी.ए. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची को ₹ 2.96 करोड़ की राशि निर्गत (फरवरी 2013 से अगस्त 2014) किया जिसमें से मात्र ₹ 0.77 करोड़ का उपयोग किया जा सका एवं शेष ₹ 2.19 करोड़ सितम्बर 2014 तक संबंधित अभिकरणों के बैंक खातों में पड़ा हुआ था।

प.नि., आई.टी.डी.ए., राँची ने इसे स्वीकार किया और जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एवं आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं करने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। जिला .कल्याण पदाधिकारी, राँची ने भी स्वीकार किया और जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.8 लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव

ए.सी. विपत्रों की विशाल बकाया राशि का मुद्दा हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, राँची ने भी सरकार के मुख्य सचिव को ए.सी. विपत्रों के आहरण से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं को नियमित अंतराल पर इंगित किया था। उन्होंने योजना शीर्षों के अंतर्गत ए.सी. विपत्रों का आहरण एवं राज्य के संचित निधि से राशि का बैंक खातों में अंतरण को बंद करने की भी सिफारिश किए थे। यद्यपि यह देखा गया कि वर्ष 2012-14 के दौरान ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण में कमी आई तथापि वर्ष 2012-14 के दौरान जारी विपत्रों के लिए दीर्घ अवधि तक डी.सी. विपत्र नहीं जमा किए जाने की प्रवृति फिर भी जारी रहा।

3.3 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा

3.3.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. का डी.पी.सी. अधिनियम) की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 बतलाता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष, जो संस्थाओं/प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को सौंपेगें। अक्टूबर 2014 तक, सरकार के किसी विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, राज्य के वार्षिक लेखों से एकत्रित सूचना के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु पहचान किये गये 71 निकायों/संस्थानों में से 59 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों में की गई (16 निकायों के

लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 एवं एक निकाय के लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्ष 2013-14 की अवधि तक की गई), जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के अप्रस्तुतीकरण के कारण विधानमंडल/सरकार को उन तरीकों जिनमें उनके द्वारा स्वीकृत/भुगतित अनुदानों का उपयोग किया गया, के बारे आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को विरल बनाता है।

3.3.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे तीन स्वायत्त निकाय[17] है जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं का परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित, के वर्ष 2008-09 के लिये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) 8 अप्रैल 2013 को जारी किये गये। विधानमंडल में इसके उपस्थापन को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया गया एवं 22 नवम्बर 2013 में एस.ए.आर. मसौदा सदस्य सचिव, झालसा को जारी किया गया। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2014)।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया जा चुका है एवं वर्ष 2011-12 तक का एस.ए.आर निर्गत किया गया है। तथापि, वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. के राज्य विधान सभा में उपस्थापन की स्थिति की सूचना अप्राप्त है। वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2014)।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 के अनुसार रिम्स का लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा किया जाना है। तदनुसार, रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौपा गया जिसे अक्टूबर 2009 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वीकार किया गया था।

---

[17] (i) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) एवं (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञांन सस्थान (रिम्स)।

तथापि, सक्रिय अनुनय के बावजूद अक्टूबर 2014 तक वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु नहीं सौपें गए।

3.4 दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, इस क्षति के लिए जिम्मेदार दलों द्वारा क्षतिपूर्ति कर लिये जाने की स्थिति में भी, कार्यालय द्वारा उच्चतर पदाधिकारियों, वित्त विभाग सहित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए; जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जानी चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा हेतु सूचना उपलब्ध कराने (28 अप्रैल 2014 एवं 26 जून 2014) के जवाब में वित्त विभाग से कोई सूचना अक्टूबर 2014 तक प्राप्त नहीं हुआ है।

3.5 निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने का निषेध करती है।

वर्ष 2013-14 के लेखा के मुख्य शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देन से संबंधित व्हाउचर स्तरीय कम्प्युटरीकृत आँकड़े एवं वित्त लेखे के समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2014 तक राज्य में 101 व्यक्तिगत बही खाते थे।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान पी.एल. खाते के अधीन अंत शेष सतत रूप से बढ़ा जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान इसमें कमी आयी, जैसा कि **तालिका 3.7** में दिखाया गया है।

तालिका 3.7: व्यक्तिगत बही खाते निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2010-11	1457.58	1940.34	1670.78	1727.14
2011-12	1727.14	2248.95	1782.95	2193.14
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43
2013-14	2954.43	2613.93	2970.86	2597.50

तालिका 3.7 से देखा जा सकता है कि ₹ 2,597.50 करोड़ की अत्यधिक निधि को मार्च 2014 के अंत में पी.एल. खाते में रखा गया।

अतएव, सरकारी धनराशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया।

3.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान आहरित किये गये जी.आई.ए. विपत्र के विरूद्ध 31 मार्च 2014 को ₹ 6,543.82 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया था। जी.आई.ए. विपत्र की बड़ी राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की अप्राप्ति, विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

  यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करें।

- उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बकाया रहने का कारण, अनुदानों के अनुचित विमोचन एवं विलम्बन, अनुदानों के आहरण का असमाशोधन एवं अवरोधन, अनुदानों के आंशिक उपयोग या अनुपयोग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का उपस्थापन नहीं होना था।

यह अनुशंसा की जाती है कि अनुदानों के विमोचन में विलम्ब होने से बचाने तथा उसके कार्यों के भौतिक और वित्तीय प्रगति की देख-रेख एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर मोनिटरिंग की जानी चाहिए। यह भी अनुशंसा की जाती है कि विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानों के अनुपयोग और अवरोधन से बचाने के लिये दृढ़तापूर्वक वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना चाहिए। जमा करने के बावजूद उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनावश्यक अप्राप्ति/विलम्ब दिखाये जाने से बचने के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बीच नियमित अन्तराल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का समाशोधन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलावे, यह भी अनुशंसा की जाती है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कोषागार से अनुदानों के वास्तविक आहरण एवं समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु विभागों द्वारा सहायता अनुदान संस्वीकृति की प्रक्रिया, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय द्वारा जी.आई.ए. के निकासी की अनुमति तथा अनुदानग्राही द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाना चाहिये।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा निधियों की निकासी

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा नहीं करने के कारण वर्ष 2000-14 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित किये गये ₹ 5,162 करोड़ की राशि जून 2014 तक बकाया थी।

  यह अनुशंसा की जाती है कि लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को ससमय जमा करना सुनिश्चित करें।

- केन्द्र सरकार से अनुदानों के रूप में आवंटित निधियों के लिये, राज्य बजट में सहायता अनुदान का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप इसका आहरण ए.सी. विपत्रों के माध्यम से किया गया। ए.सी. विपत्रों को उन उद्देश्यों के लिये आहरित की गई जिसके लिये अग्रिम आहरण की अनुमति नहीं थी। विभागों द्वारा योजना व्यय के लिए ए.सी. विपत्रों पर आहरण किया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि केन्द्र सरकार से अनुदानों के रूप में आवंटित निधियों के लिये राज्य बजट में सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिये तथा ऐसे निधियों को ए.सी. विपत्रों पर आहरित न करके जी.आई.ए. विपत्रों पर ही आहरित किया जाना चाहिये।

- बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से योजना निधि का, बगैर शीघ्र भुगतान की आवश्यकता के, बार-बार आहरण किया गया। आगे, ए.सी. विपत्रों से आहरित अप्रयुक्त निधियों को सरकारी खाते में नहीं रखकर बैंक खाते में रखा गया।

  यह सिफारिश की जाती है कि बिना आकस्मिक प्रकृति के व्यय के लिए ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण को प्रतिषेध किया जाना चाहिए एवं ए.सी. विपत्रों से आहरित अप्रयुक्त राशि को शीघ्र सरकारी खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए।

- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिये डी.सी. विपत्रों के उपस्थापन संबंधी गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बार-बार ए.सी. विपत्रों का आहरण किया गया।

  यह अनुशंसा की जाती है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों *द्वारा नये ए.सी. विपत्र जारी करने से पहले, पूर्व में निर्गत ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्रों के वास्तविक उपस्थापन को सत्यापित करने के लिए कोषागार में एक उपयुक्त तंत्र का गठन किया जाना चाहिए।*

लेखे तथा स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उपस्थापन

- सरकारी विभागों द्वारा अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय उपस्थापित नहीं किये गये है। विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानमंडल में उपस्थापन की स्थिति की सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नहीं दी गयी है।

  यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

व्यक्तिगत बही खाते में जमा निधि

- व्यक्तिगत बही खाते में मार्च 2014 के अंत तक ₹ 2,597.50 करोड़ की विशाल राशि शेष थी। विधानमंडल द्वारा चालू वर्ष के लिए पारित की गई बजटीय निधियों को आगामी वर्षों में व्यय के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण, वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

  यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्तिगत बही खाते में निधियों को पार्क करने से बचना चाहिए एवं निधियों को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर व्यय कर लिया जाना चाहिए जिस वर्ष के लिए यह बजट में उपलब्ध कराया गया था।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**